सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 100 राँची, मंगलवार, 8 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-711/2014-2203(HRMS)--श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-852/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगांव, प० सिंहभूम के विरूद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-37/गो०, दिनांक 10.02.2004 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध चापाकल मरम्मति के कार्य में अनियमितता संबंधी शिकायत पर उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदन मांगने पर नहीं देने तथा इसी संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु अद्यतन प्रतिवेदन ससमय नहीं उपलब्ध कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-4748 दिनांक 31.08.2007 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री वी०के० त्रिपाठी (भा०प्र०से०), आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-72 दिनांक 28.01.2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-3660, दिनांक 05.07.2011 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं प्रोन्नति की देय तिथि से अगले दो वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रकाश के पत्र, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अपील आवेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-2025, दिनांक 20.07.2011 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। इनके अपील आवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-3999, दिनांक 28.04.2012 द्वारा अपील अभ्यावेदन को खारिज किया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध प्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० WP(S) No-5608/2012 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"9. Having heard learned counsel for the parties and on perusal of documents available on record, it appears that the enquiry report was not served upon the petitioner before imposing impugned punishment, which caused serious prejudice to the petitioner and for that he is not able to reply suitably. Furthermore, provisions of the Civil Services (C.C. & A) Rules has not been complied with. The appellate authority also did not take into consideration of these facts.

10. For the reasons aforesaid, the impugned order of punishment, the impugned order of punishment dated 05.07.2011 as also appellate order dated 28.04.2012 is hereby quashed and set aside.

11. However, it is open to the respondents to proceed for a de novo enquiry, if so legally advised, but after following the principles of natural justice and affording opportunity of hearing to the petitioner.

12. With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands disposed of."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री प्रकाश के विरूद्ध संकल्प संख्या-3660 दिनांक 05.07.2011 द्वारा पारित दण्डादेश एवं आदेश ज्ञापांक-3999 दिनांक 28.04.2012 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश को रद्द करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-426 (hrms), दिनांक 22.01.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसमें श्री गौरी शंकर मिंज, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-288 दिनांक 01.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच एवं निष्कर्ष में कहा गया है कि प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, आरोपी पदाधिकारी पर प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव-बयान स्वीकृत किए जाने योग्य प्रतीत होता है ।

श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी पर मुख्य आरोप है कि इनके द्वारा ससमय प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित

किया गया है कि झारखण्ड दिशोम पार्टी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर PIL में मंझगांव प्रखण्ड का नाम नहीं रहने के कारण आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि उनसे उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के बेतार संवाद संख्या-139/गो० दिनांक-15.01.2004 द्वारा एस०जी०एस०वाई० एवं एस०जी०आर०वाई II के अन्तर्गत प्रखण्डों में चापाकल मरम्मति की अनियमितता से संबंधित अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2004 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि संबंधित मामले में दिनांक 20.01.2004 को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना था तथा उक्त वितंतु संवाद में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा स्पष्ट निदेश था कि प्रतिवेदन के अभाव में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पूर्ण जवाबदेह होंगे। जिस पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-39, दिनांक-21.01.2004 द्वारा प्रतिवेदन सौंपा गया। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा विलम्ब से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र में मंझगाँव प्रखण्ड से संबंधित तथ्यों को नहीं रखा जा सका। स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की अनिर्वायता को देखते हुए भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा ससमय वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ससमय वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने संबंधी गठित आरोप आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित होता है। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री प्रकाश के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 नियम-14(iv)के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-6687, दिनांक 28.10.2021 द्वारा श्री प्रकाश से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री प्रकाश के पत्र, दिनांक 27.11.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री प्रकाश द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

"इनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर इनका पक्ष सुने बगैर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसमें श्री श्री गौरी शंकर मिंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री मिंज द्वारा इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं माना है, विभागीय समीक्षा में इन्हें प्रतिवेदन विलंब से समर्पित करने का आरोप प्रमाणित माना जा रहा है, जिसके संबंध में इनका कहना है कि विभाग द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरोप को प्रमाणित माना जा रहा है। इनका कहना है कि उक्त मामले में दायर PIL में मंझगाँव प्रखण्ड का नाम ही नहीं था, झारखण्ड दिशोम पार्टी द्वारा PIL में सोनुवा, गोईलकेरा, मनोहरपुर, जगनाथपुर, खूँटपानी एवं टोन्टों प्रखण्ड का ही नाम था तथा तत्कालीन उपायुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु उक्त प्रखण्ड से प्रतिवेदन की माँग की गई थी। आरोप पत्र में संलग्न पत्रों में ही स्पष्ट होता है कि उक्त PIL में किसी भी प्रतिवेदन की माँग मंझगाँव प्रखण्ड से नहीं की गई थी, किन्तु तत्कालीन उप विकास आयुक्त द्वारा बिना किसी कारण पृच्छा किये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने का आरोप विभाग में भेज दिया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त का पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मात्र दो दिनों के अंदर सभी पंचायत से प्रतिवेदन

प्राप्त होने के पश्चात् उपायुक्त/उप विकास आयुक्त को समर्पित किया गया। चापाकल की मरम्मति का मामला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पंचायत स्तर का था, जिसका कार्य तत्कालीन उपायुक्त के पत्रांक-568, दिनांक 06.05.2002 के आलोक में हुई थी। इनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु मंझगाँव प्रखण्ड से न तो किसी प्रतिवेदन की माँग की गई थी न ही विलंब से प्रतिवेदन प्राप्त होने के लिए ये जिम्मेवार हैं ।"

श्री प्रकाश द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान के इतर कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगांव, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 नियम-14(iv) के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATYA PRAKASH JHK/JAS/89	श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगांव, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 नियम-14(iv) के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 100 -- 50